न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-408RAAJodhpur2023-188RTA223 Durgsingh vs Bhojrajsingh etc

दुर्गसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम नाथड़ाऊ तहसील सेखाला जिला-जोधपुर

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. भोजराजसिंह पुत्र उदयसिंह के कायम मुकामः -
   1.1. देवीसिंह पुत्र भोजराजसिंह
   1.2. मनोहरसिंह पुत्र भोजराज सिंह
   1.3. भंवरकंवर पुत्री भोजराजसिंह
   1.4. माडुकंवर पुत्री भोजराजसिंह
   1.5. धापूकंवर पुत्री भोजराजसिंह
   1.6. मन्दूकंवर पुत्री भोजराज सिंह
   1.7. चन्दूकंवर पुत्री भोजराज सिंह

   जातियान राजपुत निवासीगण ग्राम गिलाकौर तहसील सेखाला जिला-जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 जुलाई 2023 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 39/2013 श्रीमती जमना कंवर बनाम भोजराजसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 1/1 व 1/2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 02

नि र्ण य

दिनांक : 27 मई 2026

अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 39/2013 अनवान श्रीमती जमनाकंवर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बनाम भोजराजसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 जुलाई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 26 सितंबर 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीनी श्रीमती जमनाकंवर पत्नी सोनसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीनी के पति सोनसिंह की खातेदारी कृषि भमि ग्राम सुल्तानसिंह नगर के खसरा संख्या 466 रकबा 28 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 652 रकबा 38 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 653 रकबा 51 बीघा 17 बिस्वा, कुल रकबा 118 बीघा 09 बिस्वा आई हुई है। वादीनी के पति का देहान्त युवावस्था में ही हो गया। वादीनी के पति का देहान्त होने के बाद राजस्व रेकर्ड में वादीनी का नाम दर्ज होना चाहिए था, लेकिन प्रतिवादी संख्या एक ने अपना नाम दर्ज करवा दिया। वादीनी ने प्रतिवादी को कभी गोद नही लिया। वादीनी ने वादपत्र के अन्त में निवेदन किया कि वादीनी का स्वीकार फरमाया जावे एवं वादग्रस्त आराजीयात में वादीनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं प्रतिवादी संख्या 01 का नाम विलोपित किया जावे। वादीनी ने दिनांक 03.07.2013 को अपीलांट के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित कर नोटेरी से तस्दीक करवाया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट/ प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 01 ने दिनांक 18.11.2015 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीनी का देहान्त दिनांक 11.11.2014 को हो चुका हैं। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीनी श्रीमति जमनाकंवर ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में वसीयतनामा अपीलांट के पक्ष में कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिया एवं अपीलांट ने वसीयतनामा की फोटो प्रति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलांट ने दिनांक 13.01.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 एवं 09 सी पी सी एवं धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रस्तुत किया। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि वादीनी श्रीमति जमनाकंवर ने अपीलांट के पक्ष में दिनांक 03.07.2013 को वसीयतनामा निष्पादित कर नोटेरी से तस्दीक करवा दिया है, इस कारण से मृतक वादीनी श्रीमती जमनाकंवर के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश फरमाया जावे। रेस्पोडेंट/प्रतिवादी ने प्रार्थना पंत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 व 9 सी पी सी एवं धारा 05 मयाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत नही किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.07.2023 को रेस्पोडेंट/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी स्वीकार कर वाद को खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत धारा 151 सी पी सी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र का खण्डन किया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन ही नहीं किया तथा न ही अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 व 09 सी पी सी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम पर गौर किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 व 09 सी पी सी एवं धारा 05 मयाद अधिनियम का निस्तारण किये बिना ही रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर वाद को खारिज कर दिया, जबकि अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 व 09 सीपीसी के साथ अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय के पास अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा को नही मानने का कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कारण नहीं था। अपीलांट वसीयतनामा के जरिये वाद में आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना विधि-विरूद्ध तरीके से वाद को खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 जुलाई 2023 को अपास्त किया जावे तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर विधिनुसार निस्तारित किये जाने का निर्देश फरमावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीनी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में किसी प्रकार का वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया गया था। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का वसीयतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया था। यदि अपीलांट के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है तो वह सिविल न्यायालय से वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 22 नियम 03 व 09 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र विलंब से पेश किया गया था। इसलिए वाद विधिनुसार अबेट हो चुका था। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पो. की ओर से अपनी बहस के समर्थन में 2010(2)आर. आर.टी. 1458 की न्यायिक नजीरे पेश की।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ससम्मान परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वसीयतनामा दिनांक 03.07.2013 की फोटोप्रति के मुताबिक वादीनी श्रीमती जमनाकंवर पत्नी स्व. सोनसिंह द्वारा अपीलांट दुर्गसिंह पुत्र रूपसिंह के पक्ष में अपंजीबद्ध वसीयतनामा निष्पादित किया जाना प्रकट होता है। अपीलांट की ओर से उक्त वसीयतनामा के आधार पर दिनांक 13.01.2016 को ही विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 व 09 सीपीसी मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम प्रस्तुत कर स्वयं को वादीनी का बतौर कायम मुकाम रेकर्ड पर लिय जाने का निवेदन किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा इतनी लंबी अवधि तक अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अनिर्णित रखा गया है तथा विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वसीयतनामा पर गौर किये बिना तथा अपने निर्णय में अपीलांट के वादीनी का विधिक वारिस होने के संबंध में कोई दस्तवोज प्रस्तुत नहीं किये जाने का तर्क देते हुए वाद को विधि विरुद्ध तरीके से खारिज किया जाना पाया जाता है, जबकि अपीलांट की ओर से वसीयतनाम अदालत हाजा के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 39/2013 अनवान श्रीमती जमनाकंवर बनाम भोजराजसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 जुलाई 2023 को अपास्त किया जाता है तथा मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 व 09 सीपीसी मय धारा 05 म्याद अधिनियम का विधिनुसार निस्तारण करते हुए मूल वाद में वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए वाद का गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर